

# ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति

## बैचक रजिस्टर



वर्ष .....


ग्राम पंचायत ..... राजस्व गांवो की संख्या .....

ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गांव .....

ब्लॉक ..... जिला .....



सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतौर एक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करें।



# बच्चों के लिए विशेष दिन प्रत्येक दिन बच्चों का अधिकार दिवस

मेरा अधिकार....  
....आपकी जिम्मेदारी

## जनवरी

स्वस्थ

आरोग्य



12 : राष्ट्रीय युवा दिवस

24 : राष्ट्रीय बालिका दिवस

26 : गणतंत्र दिवस

## मार्च

अन्तर्राष्ट्रीय  
महिला  
दिवस

8 : अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

## अप्रैल

STOP CHILD MARRIAGE



7 : विश्व स्वास्थ्य दिवस

30 : भारतीय बालश्रम विरोधी  
दिवस

## जून



12 : अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम  
विरोधी दिवस

## अगस्त



12 : अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस

15 : स्वतंत्रता दिवस

## सितम्बर

HAPPY  
TEACHER'S  
DAY



5 : शिक्षक दिवस

8 : अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

## अक्टूबर

Happy Gandhi Jayanti



2 : महात्मा गांधी जयन्ती

11 : अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

## नवम्बर



11 : राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

14–20 : बाल अधिकार सप्ताह

14 : बाल दिवस

20 : अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस

## दिसम्बर



1 : विश्व ऐड्स दिवस

3 : अन्तर्राष्ट्रीय विशेषयोग्यजन  
दिवस

10: मानवाधिकार दिवस

## पंचायत एवं बच्चे

बच्चे देश का भविष्य है तथा बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे सशक्त होंगे, तो राष्ट्र सशक्त होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समुचित पोषण, शिक्षा, समुचित अवसर के साथ—साथ देखरेख, संरक्षण एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना आवश्यक है तथा इसे सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका परिवार, समुदाय, पंचायत एवं राज्य की है। बाल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध बाल संरक्षण संचनाओं/घटकों में से धरातलीय स्तर पर बच्चों के संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों व बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है।

हमारें आस—पास ऐसे असंख्य बच्चे हैं, जो कठिन परिस्थितियों में अपना जीवनयापन करने के लिए मजबूर हैं तथा इन्हे अपने समुचित विकास हेतु उचित अवसर एवं संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के सभी बच्चे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करके इनकी व्यक्तिगत विकास योजना बनाते हुए, उसका ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की महत्वपूर्ण भूमिका में आता है।

ऐसा पाया गया है कि वर्तमान में सभी पंचायतों में (0–18) आयुर्वर्ग के बच्चे जो विषम परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं, जिन्हे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इस सन्दर्भ में बच्चों के कल्याण और संरक्षण हेतु पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का यह दायित्व है कि वह अपने पंचायत क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक बच्चे/परिवार, जों कि उक्त श्रेणी में आते हैं, का डाटाबेस पंचायत मुख्यालय पर संधारित कर नियमित अपडेट करें, साथ ही प्रतिमाह बैठक आयोजित कर पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बालकों के मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, अपनी पंचायत को बाल मैत्री बनाने हेतु भरसक प्रयास सुनिश्चित करें।

इसी सन्दर्भ में ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का बैठक कार्यवाही रजिस्टर तैयार कर संबंधितों के साथ साझा किया जा रहा है, जो आप सभी को पंचायतवार कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों की सूचना एवं जानकारी संग्रहित कर चिन्हित किये गये बच्चों का व्यक्तिगत विकास कार्य योजना तैयार करने तथा पंचायत के माध्यम से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण संधारित करने में सहायक होगा तथा आपकी पंचायत को आदर्श पंचायत की श्रेणी में समावेशित करने में सहायक सिद्ध होगा।

**आशीष गुप्ता, आई. ए. एस.**  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँसवाड़ा  
राजस्थान, बाँसवाड़ा - 327001



Tel. No. } (02962) 242968, 240002 (O)  
दूरभाष } 240001 (R)  
Telfax : 02962 - 240002  
E-mail : dm-ban-rj@nic.in

D.O. No. : 90  
Date : 28/2/2019



### स्वाक्षर्य

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत बाल संरक्षण सेवाओं की बेहत्तर पहुंच एवं समुदाय आधारित निगरानी व्यवस्था को प्रबल करने हेतु सबसे अन्तिम ढांचा या संरचना "ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति" हेतु बैठक कार्यवाही रजिस्टर जारी किया जा रहा है। बाल संरक्षण समितियों को कार्यशील बनाने एवं बच्चों से जुड़े मुद्दों यथा बाल श्रम, बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शौषण, दुर्ब्यवहार एवं उत्पीड़न आदि पर पंचायत विचार-विमर्श कर उचित रूप से कार्यवाही विवरण संधारित करने में यह रजिस्टर सहायक होगा।

इस कार्य हेतु मैं बाल अधिकारिता विभाग एवं सेव द चिल्ड्रन की सहयोगी संस्थाओं वागधरा एवं कट्स की सराहना करता हूँ एवं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों हेतु बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर तैयार किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी ग्राम पंचायतें बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित, बाल मैत्री, उत्साह से सरोबार, बालकों की क्षमताओं के अनुरूप वातावरण उपलब्ध कराकर बाल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्ती भूमिका निभायेगी और बालमैत्री वातावरण का निर्माण कर आदर्श पंचायतों में अपना नाम समिलित करेगी।

शुभकामनाओं सहित

(आशीष गुप्ता)

## संठेशा



भारत गांवो का देश है, यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, इसलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा ग्राम स्वराज की परिकल्पना की गई थी। वर्तमान परिवेश में ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनेक एजेन्सियां एवं संस्थाएं प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना ने भी अपनी संरचनाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तारित कर इसे ओर अधिक सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर किया है।

इसी क्रम में बाल अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर बांसवाड़ा जिले में कार्यरत अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन सेव द चिल्ड्रन और इनकी सहयोगी संस्थाओं वागधारा और कट्स द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को कार्यशील बनाने हेतु इस रजिस्टर को तैयार करने की जो पहल की है, वों सराहनीय है और इस उत्कृष्ट कार्य हेतु मेरी ओर से शुभकामनाएं।

१५  
(दिलीप रोकड़िया)

सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता  
विभाग एवं जिला संरक्षण इकाई, बांसवाड़ा

बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओं।  
अभी तो हमको करनी है पढ़ाई, मत करवाओ हमसे कमाई।

# ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का आदेश प्रारूप

राजस्थान सरकार

## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

जयपुर, दिनांक 18/4/17

क्रमांक-एफ 22( )/ICPS/बा. स. स./गठ्न/2017/2193

### आदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित एवं बालमैत्री वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुँच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ-साथ सतत् निगरानी करने, नवाचार गतिविधियों द्वारा बाल संरक्षण के विषय में समुदाय को संवेदनशील तथा जागरूक करने, जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर बाल अधिकार के मुद्दों पर कार्य योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन के लिए समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विभाग के आदेश क्रमांक एफ ( ) सान्याए/प्रशि/परा/2012/348 जयपुर दिनांक 04.12.2012 में संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का निम्नानुसार गठन करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य-सचिव
3.	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
5.	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अथवा सम्बन्धित पुलिस थाना प्रभारी द्वारा नामित बीट कान्स्टेबल	सदस्य
6.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा नामित)	सदस्य
7.	ए.एन.एम., ग्राम पंचायत द्वारा नामित	सदस्य
8.	आंगनबाड़ी, कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत द्वारा नामित	सदस्य
9.	अध्यक्ष, सम्बन्धित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
10.	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका), प्रधानाध्यापक/सरपंच द्वारा नामित (उम्र 12-18 वर्ष)	सदस्य

11.	समुदाय के दो सम्मानित सक्रिय नागरिक (कम से कम एक महिला) तथा एक स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
-----	---	-------

### नोट :-

1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक/स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि का चयन संबंधित सरपंच द्वारा किया जायेगा ।
2. उक्त समिति के प्रभावी संचालन हेतु पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे ।
3. समिति में निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों के बदलाव होने पर चयनित नव निर्वाचित प्रतिनिधि उक्त समिति के स्वतः ही सदस्य बन जायेंगे तथा उक्त नव निर्वाचित सदस्यों को समिति के गठन व संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी व वस्तुस्थिति से अवगत कराने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव तथा सदस्य सचिव ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की होगी ।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति अपने क्षेत्र में बाल मैत्री वातावरण निर्माण कर बाल संरक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगी ।

1. समिति द्वारा अपने क्षेत्र में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों व जोखिम संभावित परिवारों का चिन्हीकरण कर, ऐसे बच्चों व परिवारों की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप या रजिस्टर में संधारित करेगी । समिति इस संबंध में ग्राम पंचायत में आने वाले सभी राजस्व ग्राम एवं वार्ड के वार्डपंचों द्वारा वार्डवार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों व जोखिम संभावित परिवारों का आंकड़ा इकट्ठा करेगी तथा सभी आंकड़े ग्राम सचिव को उपलब्ध करायेगी । ग्राम सचिव वार्डवार प्राप्त सभी आंकड़ों/सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप में संधारित करेगा ।०५
2. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समिति अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी तथा इसे ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु साझा करेगी तथा कार्ययोजना को अन्तिम रूप देने हेतु इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी तथा चिन्हित बच्चों/परिवारों को विभिन्न विभागों की उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव कर लाभान्वित करवाना सुनिश्चित करेगी ।
3. समिति बाल संरक्षण से संबंधित मुख्य चुनौतियों, उपलब्धियों एवं अवसरों के विषय में संबंधित ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करेगी ।
4. समेकित बाल संरक्षण योजना में उल्लेखित गैर संस्थागत देखभाल/परिवार आधारित देखभाल कार्यक्रम यथा पालन-पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) पर्वतकर्ता कार्यक्रम (स्पॉन्सरशिप) इत्यादि का ग्राम पंचायत स्तर पर बढ़ावा देते हुए इन कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी ।
5. समिति अपने क्षेत्र में बाल मैत्री सूचकों यथा बच्चों का जन्म पंजीकरण, आधार पंजीकरण, पूर्ण टीकाकरण, शाला पूर्व शिक्षा, 06 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों काल्स्कूल में नामांकन/ठहराव/नियमितता, बाल मजदूरी व बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाना सुनिश्चित करेगी ।
6. समिति अभिभावक एवं समुदाय को जागरूक तथा संवेदनशील कर बच्चों को सतत स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेगी ।
7. समिति बच्चों पर हो रही हिंसा, शोषण, दुर्व्यहार जैसे बच्चों के साथ मारपीट, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी, यौन शोषण जैसे विषयों पर सामुदायिक संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर परिवार एवं समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील करेगी ।
8. समिति बाल तस्करी/बाल श्रण से मुक्त, अनाथ, निराश्रित बच्चों का ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे बच्चों का पुनर्वास एवं समाज में पुर्णःस्थापना सुनिश्चित करेगी ।
9. समिति बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु ग्राम में बाल अधिकार समूह (चाइल्ड राईट्स क्लब) का गठन व संचालन को बढ़ावा देगी तथा उक्त समूहों/क्लबों को प्रेरित करेगी, साथ ही समिति अपनी बैंकों में बच्चों की सहभागिता भी सुनिश्चित करेगी ।
10. समिति बच्चों से जुड़े विशेष दिवसों यथा राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी), विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस (12 जून), शिक्षक दिवस (05 सितम्बर), बाल दिवस (14 नवम्बर), अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस (20 नवम्बर) सहित अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर विशेष बाल सभा का आयोजन करेगी, जिसमें समुदाय को बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण के मुद्दों के विषय में जागरूक करेगी ।

11. समिति ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु एकत्रित किये जाने वाले आंकड़ों के प्रारूप एवं प्रपत्रों में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार से सम्बन्धित सूचकों को उक्त प्रारूप एवं प्रपत्रों में सम्मिलित करवाना सुनिश्चित करेगी तथा ग्राम पंचायत विकास योजना में बच्चों के मुद्दों को भी शामिल करवायेगी तथा इसका प्रभावी क्रियान्वयन करवाना सुनिश्चित करेगी।
12. समिति प्रत्येक माह में 04 व 05 तारीख को आयोजित सामाजिक सेवाओं की स्थायी समिति की बैठक के साथ अपनी बैठक करेगी तथा कार्यवाही विवरण रजिस्टर में दर्ज कर कार्यवाही विवरण की एक प्रति अनिवार्य रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई/पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करेगी।
13. प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में किये गये निर्णय ही वैध/मान्य होंगे। समिति के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों का अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा।

(सुदर्शन सर्देश)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर, दिनांक 18/4/17

**क्रमांक-एफ 22 ()() /ICPS/बा.स.स./गठन/2017/2193**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/विधि विभाग/खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को उक्त पंचायती राज प्रतिनिधियों की बाल संरक्षण समिति के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के क्रम में।
9. मुख्य कार्यवारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाइल्ड पोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
10. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद् .....।
11. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला परिषद् .....।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् .....।
13. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग.....।
14. समस्त अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति।
15. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/गैर राजकीय बाल गृह।
16. समस्त जिलाधिकारी, श्रम विभाग।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
18. समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
19. समस्त प्रधान, पंचायत समिति।
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति .....।
21. समस्त सरपंच, ग्राम पंचायत .....।
22. समस्त ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत .....।
23. समस्त ए.एन.एम./आंगनबाड़ी, कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत .....।
24. रक्षित पत्रावली।

(सुदर्शन सर्देश)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (३) अनुच्छेद 39 के खंड(ङ) और खंड (च) अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 के उपबंधों के अधीन यह सुनिश्चित करना की बालकों की सभी जरूरतों को पुरा किया जाए और उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतया संरक्षण हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं और कर्तव्य अधिरोपित किये गए हैं।

### ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का विवरण - अवधि.....

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	सामाजिक शास्त्रीय	गाँव	समिति में पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

घर घर में आवाज लगाओ, बाल विवाह को जड़ से मिटाओं।

### ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	सामाजिक शक्ति	गाँव	समिति में पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								

नये नामित सदस्य

1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

बेटी मेरी अभी पढ़ेगी, विवाह की सूली नहीं चढ़ेगी।

**ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का विवरण - अवधि.....**

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	सामाजिक शक्ति	गाँव	समिति में पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

हम सब ने अब यह ठाना है, बाल मजदुरी को जड़ से मिटाना है।

### ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम	उम्र	लिंग	सामाजिक शक्ति	गाँव	समिति में पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								

#### नये नामित सदस्य

1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

मत करो कोमल हाथों पर इतना अत्याचार, नहीं सह पाएंगे बजरी और कंकर की मार।

**ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का विवरण - अवधि.....**

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	सामाजिक शब्दावली	गाँव	समिति में पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

बंधुआ मजदुरी प्रथा अधिनियम 1976 में बंधुआ मजदुरी को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इसके अन्तर्गत बंधुआ मजदुरी को अपराध माना गया है और बंधुआ मजदुरी करवाने वाले व्यक्ति को दण्ड दिये जाने का प्रावधान है।

### ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का विवरण

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	सामाजिक शास्त्रीय	गाँव	समिति में पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								

#### नये नामित सदस्य

1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

सन् 1976 में भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाकर न सिफ बंधुआ मजदुरी पर प्रतिबन्ध लगाया गया बल्कि बंधुआ मजदुरी करवाने वाले को सजा दिये जाने वाले के प्रावधान रखे गये हैं, यह कानून बंधुआ मजदुरी के लिए विवश लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है।

### ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण प्लान

ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व गांव से एकत्रित किये गये डाटाबेस के आधार पर शिक्षा प्रबंधन समिति, ग्राम विकास समिति, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा एवं कार्ययोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। डाटाबेस के आधार पर तैयार कार्ययोजना को ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं डी.सी.पी.यू. को सम्प्रेषित किया जायेगा एवं उस एकत्रित जानकारी के आधार पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं डी.सी.पी.यू., गाँव के जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने के लिए कार्य –योजना का निर्माण करेगी। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे बाल संरक्षण के कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए उपयोगी होगी।

**विशेष देवभाल एवं संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बच्चों की समेकित जानकारी**

क्र.स.	श्रेणी	कुल बच्चों की संख्या माह/वर्ष	प्रथम 6 माह पश्चात् बच्चों की संख्या		द्वितीय 6 माह पश्चात् बच्चों की संख्या		तृतीय 6 माह पश्चात् बच्चों की संख्या		चतुर्थ 6 माह पश्चात् बच्चों की संख्या		पंचम 6 माह पश्चात् बच्चों की संख्या	
			पूर्व	नये	पूर्व	नये	पूर्व	नये	पूर्व	नये	पूर्व	नये
1	अनाथ बच्चे											
2	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (विकलांग बच्चे)											
3	परित्यक्त बच्चे											
4	जिनके माता-पिता आजीवन कारावास में हो या सजाएं मौत सुनाई गयी हो											
5	नाता जाने वाली माता के बच्चे											
6	पुनर विवाहित विधवा माता के बच्चे											
7	सड़क पर रहने वाले बच्चे											
8	भीत्र मांगने वाले बच्चे											
9	बाल मजदूरी करने वाले बच्चे											
10	बाल विवाहित वाले बच्चे											
11	प्राकृतिक आपदा से पीड़ित बच्चे											
12	आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के पीड़ित बच्चे											
13	युव्वकड़ बंजारे प्रवासी परिवार के पीड़ित बच्चे											
14	शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने वाले परिवार के पीड़ित बच्चे											
15	गुमशुदा बच्चे											
16	पलायन करने वाले बच्चे											
17	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले पालनहार लाभार्थी वाले बच्चे											
18	विधुर पिता के बच्चे											
19	विधवा माता के बच्चे											
20	विधि से संर्घरत पीड़ित बच्चे											
21	रीौन शोषण से पीड़ित बच्चे											
22	अन्य श्रेणी (यदि हो तो उल्लेखित करें)											

**नोट :** विभिन्न श्रेणीयों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ नंबर 8-9 पर देखें

हमने अब ये ठाना हैं, बाल व्यापार को मिटाना हैं।  
बाल व्यापार की रोकथाम, हम सब मिलकर करे ये काम।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर हेतु दिशा-निर्देश

### 1. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण कार्य योजना हेतु दिशा-निर्देश

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा तैयार की जाने वाली बाल संरक्षण कार्य योजना हेतु दिशा-निर्देश निम्नांकित है:-

1.1 **बालकों की श्रेणी** – ऐसे बच्चे, जो जोखिम में जीवनयापन कर रहे या वंचित हैं, उनकी वंचितता आंकलन के पश्चात् प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा बाल संरक्षण कार्य योजना तैयार की जावेगी, उक्त संबंध में बालकों की श्रेणियों पर विस्तृत जानकारी एवं समझ हेतु निम्नानुसार श्रेणियों को परिभाषित किया गया हैं-

1.1.1 **अनाथ बच्चे** :–‘अनाथ’ बच्चे से तात्पर्य ऐसे बालक या बालिका से है, जिसके जन्मदाता/जन्म देने वाले माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हैं, जिसके दत्तक/कानूनी रूप से गोद लिये माता-पिता मृत्यु हो चुकी हैं या मौजुद नहीं है, जिसके विधिक/कानूनी संरक्षक नहीं हैं या जिसका विधिक/कानूनी संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं या देखरेख करने में समर्थ नहीं है।

1.1.2 **बेघर बच्चे**:–बेघर बच्चे से तात्पर्य ऐसे बच्चे से है, जिसके पास कोई घर या निश्चित निवास स्थान या डेरा या रहने का सुरक्षित स्थान नहीं है या जिसके पास अपने जीवन निर्वाह के कोई आवश्यक संसाधन/सहायता/प्रत्यक्ष साधन उपलब्ध नहीं है।

1.1.3 **एकल अभिभावक**:- एकल अभिभावक से अभिप्राय ऐसे बच्चों से जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तथा बच्चों को पालने में असमर्थ है।

1.1.4 **बाल मजदूरी**:-बाल मजदूरी की परिभाषा विभिन्न कानूनों में अलग-अलग रूप से परिभाषित है, किन्तु बालकों हेतु कियान्वित विशेष अधिनियम “किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015” में ऐसे बच्चे, जिनकी आयु या उम्र 18 वर्ष से कम हैं और वे आजीविका या श्रमिक कार्य प्रकट होने वाले कार्य करते हों, तो उन्हे बाल श्रमिक कहा गया है।

इसी प्रकार बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेद्य और विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधित अधिनियम, 2016 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कार्य में सम्मिलित होने संबंधी कार्य करना बाल श्रम माना गया है तथा 15 से 18 आयुवर्ग के बालकों का खतरनाक एवं जोखिम भरे कार्यों में कार्य करना बाल श्रम माना गया है।

**परियोजना के तहत ऐसे बच्चों की भी सूचना प्राप्त की जावेगी, जो बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं**

ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है और वो शिक्षा से वंचित है।

ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है और वो स्कूल के समय कार्य करते हैं।

ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है और अन्तिम शैक्षणिक सत्र के दौरान नियमित रूप से 42 दिवस से अनुपस्थित हैं। (ऐसे बच्चों की अनुपस्थिति का आंकलन करते समय यह धान रखे कि कोई बच्चा किसी बीमारी या अन्य किसी यक्तिगत कारण से विद्यालय नहीं आ पाया हो, की गणना ना करें)

1.1.5 **बाल भिक्षावृति**-बाल भिक्षावृति से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो तथा माता-पिता या अभिभावक या किसी बाहरी व्यक्ति या ठेकेदार के द्वारा या स्वयं से भिक्षावृति / भीख मांगने संबंधी कार्य में लिप्त है।

1.1.6 **बाल पलायन**:-बाल पलायन से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है, जो मजदूरी के लिए अथवा अपने परिवार के साथ समय-समय पर दूसरे जिले या राज्य में मजदूरी के उद्देश्य से आता-जाता हो तथा शिक्षा से वंचित हो। ऐसे बच्चे जो निश्चित निवास स्थान पर 30 दिवस से अधिक समय से आवासित नहीं हैं और जब स्कूल खुले हैं या संचालित हैं, तब शिक्षा से वंचित है, उन्हे भी बाल पलायन की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है।

1.1.7 **बाल मुखिया परिवार**:-बाल मुखिया परिवार से तात्पर्य ऐसे परिवार से है, जिसमें बालकों की देखरेख करने वाला कोई वयस्क सदस्य यथा- माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची या कोई विधिक संरक्षक मौजुद नहीं है तथा उस परिवार का पालन-पोषण या उसमें रहने वाले सभी बच्चों को बड़े भाई या बहिन द्वारा पाला जा रहा है या देखरेख उपलब्ध कराई जा रही है, बाल मुखिया परिवार की श्रेणी में आता है।

1.1.8 **शिक्षा से वंचित/ड्राप आउट बच्चे**-शिक्षा से वंचित बच्चों से अभिप्राय ऐसे बच्चों से है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है तथा बालक या बालिका ने स्कूल जाना बंद कर रखा है या स्कूल में अनामांकित या स्कूल में अनियमित है।

1.1.9 **बाल दुर्व्यवहार/शोषण /उपेक्षा/हिंसा** के शिकार/प्रभावित बच्चे-इस श्रेणी में आने वाले बच्चों से संबंधित जानकारी हेतु निम्नांकित का अध्ययन करें:-

### बाल दुर्व्यवहार

यदि कोई बच्चे को शब्दों के द्वारा चोट पहुँचानें, बच्चे को शर्मिन्दा करने हेतु भाव / किया करने, असहाय, क्रोध, चोट देने, या दुःखी करने का कार्य करता है तो उसे बाल दुर्व्यवहार कहा जाता है।

### बाल शोषण

बाल शोषण का अर्थ बच्चे का फायदा उठाना, अपने फायदे के लिए बच्चे के साथ कूर तथा अमानवीय व्यवहार करना सम्मिलित है।

## उपेक्षा

बच्चों को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति लगातार उदासीनता, उपेक्षा कहलाती है।

## बाल हिंसा

किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा बच्चों पर जानबूझ कर किया गया शारीरिक बल प्रयोग, धमकी देना जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, जीवित रहने, विकास व सम्मान का नुकसान हो, हिंसा कहलाता है।

- 1.1.10 **दिव्यांग/विकलांग/विशेष योग्यजन बच्चे**—ऐसे बच्चे जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असुविधाग्रस्त हैं तथा जिनकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता—पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उनकी देखरेख करने में असमर्थ हैं।
- 1.1.11 **गंभीर रोग/असाध्य रोग से पीड़ित** — ऐसे बच्चे जो घातक या असाध्य रोग से पीड़ित हैं तथा जिनकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता—पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उनकी देखरेख करने में असमर्थ हैं।
- 1.1.12 **गुमशुदा या भागा हुआ बालक** — गुमशुदा या भागा हुआ बालक से अभिप्राय ऐसे बालकों से हैं, जो अपने माता—पिता से बिछड़ गये हैं तथा घर से निकल गये हैं तथा ढूँढ़ने के पश्चात् भी नहीं मिल पाये हैं।
- 1.1.13 **माता—पिता/संरक्षक मौजूद हैं, पर बच्चे को देखरेख और संरक्षण उपलब्ध कराने में अयोग्य**—उक्त श्रेणी से अभिप्राय ऐसे बच्चों से हैं, जिनके माता—पिता / संरक्षक मौजूद हैं, तथा बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है।
- 1.1.14 **परित्यक्त बच्चे**—‘परित्यक्त’ से तात्पर्य ऐसा लावारिस और परित्यक्त बालक से है, जो बाल कल्याण समिति द्वारा सम्यक्/वांछित जांच के पश्चात् परित्यक्त घोषित किया गया हैं या माता—पिता द्वारा बच्चे की देखरेख एवं लालन—पालन नहीं किया जा रहा और किसी सुरक्षित स्थान या पालना में परित्यक्त किया गया है, तथा पालन—पोषण कर्ता को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो।
- 1.1.15 **अवैध कार्य में लिप्त बच्चे**—ऐसे बालकों से अभिप्राय ऐसे बालक से हैं, जिसे कोई मादक लीकर या स्वापक औषधि या तम्बाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देने से है या सेवन करवाने से है अथवा अनैतिक कार्यों में लिप्त करवाने से है।
- 1.1.16 **बाल तस्करी से पीड़ित बच्चे**—ऐसे बालकों से अभिप्राय उन बालकों से हैं, जिसे बाल तस्करी के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या या विक्रय या अनैतिक व्यापार या शोषण हेतु ले जाया गया है।
- 1.1.17 **प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा से पीड़ित या प्रभावित बच्चे**—इस श्रेणी में आने वाले बच्चों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से हैं, जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं या प्रभावित हैं।
- 1.1.18 **बाल विवाह हो चुके या होने की संभावना वाले बच्चे**—ऐसे बच्चे से अभिप्राय उन बच्चों से हैं, जो विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह किये जाने के आसनन जोखिम में हैं और जिसके माता—पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षकों और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठान के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।
- 1.1.19 **आजीवन कारावास प्राप्त कर चुके माता—पिता की संतान**— ऐसे बच्चे जिनके माता—पिता को आजीवन कारावास / सजाएं मौत सुनाई गयी हो और वे बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण करने में सक्षम न हों।
- 1.1.20 **विधवा/नाता/पुर्णविवाह करने वाली माता /परित्यक्ता की संतान**— ऐसे बच्चे जिनकी माता विधवा हैं एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण बच्चों को पालन—पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण लम्बे समय बाद अपने बच्चे को परित्यक्त करने की संभावना है। नाता जाने वाली माता की संतान से तात्पर्य ऐसे बच्चों से हैं, जिसकी माता द्वारा बच्चे का परित्याग कर पुर्णविवाह या दूसरे पुरुष के साथ रह रही है।
- 1.1.21 **अन्य श्रेणी**— इस श्रेणी में वह सभी बच्चे शामिल हैं, जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आ पाये हैं तथा बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले श्रेणी का बच्चा घोषित किया गया है।
2. **कुल बच्चों की संख्या**— ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा वांछितता आंकलन के पश्चात् बालकों से संबंधित प्राप्त आंकड़ों को श्रेणीवार दर्ज करना है। उक्त आंकड़ों को दर्ज करने की दिनांक एवं माह व वर्ष का भी उल्लेख किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी के सम्मुख पहचान किये गये बच्चों की प्राप्त कुल संख्या को दर्ज किया जावेगा।
3. **प्रथम छ: माह पश्चात् बच्चों की संख्या**— उक्त कॉलम में सर्वप्रथम आंकड़ों की प्राप्ति के छ: माह के भीतर की स्थिति एवं संबंधित पंचायत या संस्था द्वारा जिन बालकों के साथ कार्य किया गया या जोड़ा गया तथा अब, उन्हे त्वरित सहायता की आवश्यकता नहीं है, को घटाने के बाद नये पहचान किये गये बालकों या नये प्रकरणों तथा पूर्व के शेष बालकों का योगकर जोड़ना है। इन आंकड़ों को दर्ज किये जाने की तिथि, माह व वर्ष का इन्द्राज भी किया जावेगा।
4. **द्वितीय छ: माह के पश्चात् बच्चों की संख्या**— इस हेतु प्रथम छ: मास में प्राप्त बच्चों के आंकड़ों के साथ किये कार्य या जोड़े जाने के पश्चात् शेष बचे बालकों एवं इस अवधि में प्राप्त नये बच्चों की संख्या व पूर्व के शेष का योगकर दर्ज करना है। इन आंकड़ों को दर्ज किये जाने की तिथि, माह व वर्ष का इन्द्राज भी किया जावेगा।
- इसी प्रकार प्रत्येक छ: माह में निरन्तर रूप से यह डाटा अपडेट या परिवर्तित होता रहेगा और पंचायत स्तर पर संधारित किया जावेगा। (नोट—ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा जब तक किसी प्रकरण या बालक को वांछित लाभ या सुविधा पूर्णतया उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तब तक ऐसे बालकों को निरंतर कार्य योजना का हिस्सा रखना है तथा जोड़े जाना है।)

बाल मजदुरी एक पाप है, बच्चों के लिए एक अभिशाप है।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हे हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसे मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बटा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओं।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून- 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेगें और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हें हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसे मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बट्टा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओ।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून— 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हें हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसे मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बट्टा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओ।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

### बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

### बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून- 6 से 14 साल की उम्र के प्रयोक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेगें और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेगें।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हें हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसें मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बट्टा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओ।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून – 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हें हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसे मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बट्टा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओ।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

### बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

### बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबुर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून— 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हें हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसे मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बट्टा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओ।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून— 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हें हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसे मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बट्टा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओ।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून— 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेगें और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेगें।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हें हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसे मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बट्टा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओ।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबुर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून— 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेगें और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

मेरे जीवन का यही सपना, बाल मजदुरी मुक्त बने गाँव अपना।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

इन नन्हें हाथों में तुम कलम थमाओं, नाकि इनसे मजदुरी करवाओं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

देश की साख पर बट्टा ना लगाओ, छोटे छोटे बच्चों से मजदुरी ना करवाओ।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

दुनिया में लाओ नया उजियारा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओं यह संसार न्यारा।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

कम उम्र में ना करो शादी, यह है उसके जीवन की बर्बादी।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र, शादी करके उस पर न करो जुल्म।

## ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान :

बैठक की तारीख :

बैठक संख्या :

बैठक में उपस्थित कलस्टर कोर्डिनेटर का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

सदस्यों की कुल संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : पुरुष ..... महिला ..... कुल ..... लड़के ..... लड़कियाँ ..... कुल .....

### गत बैठक की पालना रिपोर्ट

1.

2.

3.

4.

5.

### बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें यह बात भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन है।

## बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

बैठक में लिये गये निर्णय	जिम्मेदारी	समयावधि	विशेष विवरण

## बैठक का उपरिथिति विवरण

निर्वाचित सदस्य कुल संख्या .....	पदेन सदस्य कुल संख्या .....	प्रतिष्ठित/सामाजिक सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य कुल संख्या .....	बाल प्रतिनिधि कुल संख्या .....
अन्य प्रतिभागी के हस्ताक्षर :			प्रतिभागियों की संख्या .....

हमने अब ये ठाना हैं, बाल व्यापार को मिटाना है।

## सरकारी विभागीय अधिकारीयों के महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र

क्र.सं	विभाग एवं पद	व्यक्ति का नाम	सम्पर्क सूत्र
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			





**Head Office : Village & Post Kupra, District Banswara, Rajasthan (India)**  
**Ph. : +91-9414082643, Fax : +91-9024573411 E-mail : [vaagdhara@gmail.com](mailto:vaagdhara@gmail.com)**  
**State Coordination Office : E-3/145, Shyonarayan Marg, Behind Shalby Hospital, Chitrakoot, Gandhi Path, Vaishali Nagar, Jaipur(Raj) 302021 Ph: +91-141 2441490**  
**Website : [www.vaagdhara.org](http://www.vaagdhara.org)**